साप्ताहिक
निष्पक्ष...निर्भीक...निरंतर...
विश्वास का तीर
सपांदक- आयुष राजपूत
RNI.NO- MPHIN/2022/83636
वर्ष-03 | अंक-33 | भोपाल, प्रति शुक्रवार 28 जून 2024 | मूल्य-10 रूपयें | पृष्ठ-08

परिवहन चौकियों को बंद करने की कवायद...

सीएम मोहन बोले, तीन माह में गुजरात की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करें चेक पाइंट

विश्वास का तीर

प्रदेश में परिवहन चौकियों में हो रही अवैध वसूली की कम्प्लेन को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अफसरों से कहा है कि तीन माह तक गुजरात के परिवहन चेक पाइंट व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करें और धीरे-धीरे परिवहन चौकियों को खत्म करें। सीएम ने साफ कहा है कि जल्दी से जल्दी गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाए ताकि इस तरह की शिकायतों को रोका जा सके। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही ई चेक-पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करवाने का प्रावधान है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित आवश्यक अमले तथा बजट की सहमति प्रदान की है।

ऐसी है गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था

गुजरात में वर्ष 2019 से 17 चेक पोस्ट समाप्त किए गए। चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पाइंट के नाम से 58 चेक पाइंट स्थल अधिसूचित किए गए। चेक पाइंट पर अधिकारी आठ-आठ घंटे की ड्यूटी करते हैं। हर चेक पाइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड एवं वाहन चालक भी रहते हैं। इस व्यवस्था के लिए हर सातवें दिन 217 अधिकारियों की पदस्थपना का कार्य होता है। इसके लिए गुजरात राज्य को चार जोन में बांट कर व्यवस्था लागू की गई है।

इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की आय में भी वृद्धि हुई है।

ऐसे उपकरण का हो रहा उपयोग

वहां वाहनों में बॉडी वार्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन व इंटरसेप्टर जैसे उपकरण इस व्यवस्था में लागू हैं। मोटर वाहन निरीक्षक सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मिलाकर लगभग 850 पद स्वीकृत किए गए हैं।

अधिकारी गुजरात की प्रोसेस स्टडी कर रहे

मध्यप्रदेश के अधिकारी इस व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश में व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस व्यवस्था के लिए आवश्यक होमगार्ड की व्यवस्था भी की जाए। मध्य प्रदेश बेहतर व्यवस्था लागू करने की पहल करें। इसका लाभ आमजन को भी मिलेगा और शासन की आय में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

- प्रदेश में ई-व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाएं।
- यात्री बसों के आने का समय निर्धारित हो। निर्धारित समय पर बसें आएं। व्यवस्था का सख्ती से पालन हो। इससे यात्री भी अवगत रहें।
- ओवरलोडिंग न होने दी जाए।
- निर्धारित स्थान पर बस स्टेंड की व्यवस्था लागू हो। बसें अव्यवस्थित न खड़ी हों। घोषित स्थान पर स्टैंड बनाया जाए।
- बस स्टैंड तथा बस स्टॉप की आवश्यकता को देखते हुए नए बस स्टॉप अवश्य बनाए जाएं।
- विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान की जाएं।
- ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाएं।
- परिवहन विभाग विभिन्न जन सुविधाओं के लिए बेहतर प्रबंधन करें।

एमपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले

ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम में नए संभागायुक्त की पोस्टिंग; सुदाम खाड़े को आयुक्त जनसंपर्क बनाया

विश्वास का तीर

मध्यप्रदेश शासन ने 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। गुरुवार देर रात इसके आदेश जारी किए गए हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव स्तर के अफसर इधर से उधर किए गए हैं। एक दशक से पावरफुल विभागों में पदस्थ रहे अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया को लूप लाइन में भेजा गया है। उन्हें प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। वहीं प्रशासन अकादमी के महानिदेशक विनोद कुमार को संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान बनाया गया है। इस आदेश के बाद अब मो. सुलेमान ही ऐसे अफसर हैं जो सीएम के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा के सीनियर हैं। सुलेमान चार साल से ज्यादा समय से हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हैं और उन्हें भी जल्द मंत्रालय से बाहर किया जा सकता है। इस तरह की प्रशासनिक जमावट से नए मुख्य सचिव के रूप में डॉ. राजेश राजौरा की पदस्थापना के संकेत पुख्ता होने लगे हैं।

डॉ. सुदाम खाड़े को आयुक्त जनसंपर्क की जिम्मेदारी

वहीं तीन महीने पहले ग्वालियर के संभाग आयुक्त बनाए गए डॉ. सुदाम खाड़े को वापस भोपाल बुलाकर उन्हें आयुक्त जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रश्मि अरुण शमी की भी पांच साल बाद पोस्टिंग बदली

राज्य शासन ने पांच साल से स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थ रश्मि अरुण शमी को भी हटा दिया है। उन्हें प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और आनंद विभाग पदस्थ किया गया है।

ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम में नए संभागायुक्त की पोस्टिंग

ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग में नए संभाग आयुक्त की पोस्टिंग की गई है। ग्वालियर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े आयुक्त जनसंपर्क बनाए गए हैं। वहीं रीवा संभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी शहडोल संभाग आयुक्त बाबू सिंह जामोद को सौंपी गई है। रीवा के वर्तमान संभाग आयुक्त गोपालचंद डाड के 30 जून को रिटायर होने के बाद यह पद खाली होगा। इसके साथ ही कृष्ण गोपाल तिवारी को आयुक्त नर्मदापुरम संभाग और मनोज खत्री को आयुक्त ग्वालियर संभाग पदस्थ किया गया है।

स्वतंत्र सिंह को फिर लूप लाइन में भेजा

अपर सचिव स्तर के अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह को फिर लूप लाइन में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले सिंह को आयुक्त श्रम और वाणिज्यिक कर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन गुरुवार रात जारी आदेश में उन्हें भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग में पदस्थ कर दिया गया है।

1. विनोद कुमार महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल

2. जे.एन. कांसोटिया अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल

3. अशोक बर्णवाल अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग

4. रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण

5. एम सेलवेन्द्रन पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मप्र, भोपाल सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग

6. डॉ. संजय गोयल सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

7.
रघुराज एम. आर.
प्रबंध संचालक
मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

8. डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खांडे आयुक्त, ग्वालियर संभाग आयुक्त, जनसंपर्क, मप्र, भोपाल

9. बाबू सिंह जामोद आयुक्त, शहडोल संभाग
आयुक्त, रीवा संभाग
आयुक्त, शहडोल संभाग (अतिरिक्त प्रभार)

10. स्वतंत्र कुमार सिंह आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल

11. कृष्ण गोपाल तिवारीसचिव, मप्र शासन, जल संसाधन विभाग आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग

12. मनोज खत्री संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र, भोपाल आयुक्त, ग्वालियर संभाग

13. धनराजू एस संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभागवि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर

14. हरजिंदर सिंह अपर सचिव, मप्र शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सरेंडर के इरादे से कोर्ट में पत्नी साले के साथ पहुंचा था, पुलिस ने उठाया

आईपीएल मैनेजर को सुसाइड के लिए उकसाने वाला एसआई गिरफ्तार

विश्वास का तीर

इंडियन पोटाश लिमिटेड (ढ्ढक्क) के एरिया मैनेजर मनोज रघुवंशी सुसाइड केस में आरोपी विदिशा कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी स्ढ्ढ गौरव रघुवंशी मृतक की पत्नी ज्योति और साले पिंटू उर्फ देवेंद्र को अयोध्या नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों भोपाल कोर्ट में गुरुवार की दोपहर को सरेंडर करने पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों को सरेंडर से पहले कोर्ट के बाहर से पकड़ लिया। शाम को आरोपियों को मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। तीनों की निशानदेही पर केस से जुड़े अहम सबूत जब्त किए जाना है। इसी के साथ आरोपियों ने फरारी कहां और किस-किस के पास काटी इस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से गीता रघुवंशी, कांती बाई, टिंकु उर्फ अविनाश और रिटायर्ड एएसआई राम सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

सुसाइड नोट में क्या लिखा था

30 नवंबर 2023 को मनोज ने अपने अयोध्या नगर स्थित घर में सुसाइड किया था। इससे पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं मरना नहीं चाहता। पत्नी, उसके मौसेरे भाई और मौसा-मौसी ने मजबूर कर दिया। इन्हीं के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये लोग मुझसे लाखों रुपए ले चुके हैं। पत्नी दबाव बनाती है कि बेटे को तुमसे तभी मिलने दूंगी, जब अपनी मां से संपत्ति में हिस्सा लेकर बच्चे के नाम कर दोगे। बेटे अक्षय से बेहद प्यार करता हूं। भाई सारी संपत्ति तुम रख लेना। पत्नी को कुछ मत देना... कुछ भी नहीं। इस मामले में सुसाइड का वीडियो भी सामने आया था। लंबी जांच के बाद पुलिस ने मनोज रघुवंशी के साले तत्कालीन थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर गौरव रघुवंशी सहित 1 मार्च 2024 को 6 लोगों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।

आरोपियों पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था

9 अप्रैल 2024 को भोपाल जोन-2 की अधीक्षक श्रद्धा तिवारी ने आरोपियों की सूचना देने पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं, 19 अप्रैल को मनोज रघुवंशी की मां ने पुलिस कमिश्नर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिकायती आवेदन दिया था। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

मां ने पुलिस कमिश्नर से की थी शिकायत

मनोज रघुवंशी (40) की मां शकुन ने 19 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक आवेदन दिया, जिसमें बताया कि मेरा बेटा अभिनव होम्स में रहता था। वह ढ्ढक्क कंपनी में एरिया मैनेजर था। उसकी शादी 11 साल पहले ज्योति रघुवंशी से हुई थी। दोनों का 10 साल का बेटा अक्षय है। बेटे मनोज का साला गौरव रघुवंशी एसआई कोतवाली थाना विदिशा में पदस्थ है। वह पूर्व में विदिशा जिले के एक थाने का प्रभारी भी रहा है, और बहू ज्योति का मौसेरा भाई है। गौरव के पिता राम सिंह भी एएसआई पद से रिटायर्ड हैं। ये दोनों बेटे और बहू के आपसी विवाद में बेटे पर दबाव बनाते थे। उसे हत्या के प्रयास के केस में फंसाने की धमकी देते थे। 29 नवंबर 2023 को पति-पत्नी के आपसी विवाद में उसके ससुर और साले ने मेरे बेटे पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराने का प्रयास किया। उसे अयोध्या नगर थाने तक बुलाया गया। यहां टीआई को गौरव ने कई कॉल कर झूठा केस दर्ज कराने का प्रयास किया। पूर्व में बहू ज्योति कई बार अपने मायके में चली जाया करती थी। महीनों तक नहीं लौटती थी। दबाव बनवाकर ही उसने बेटे को अलग रहने को मजबूर किया था। वह दबाव बनाकर उसकी संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर मायके लौट जाने की धमकी देती थी। आए दिन की धमकियों से तंग आकर बेटे ने सुसाइड कर लिया था। जिसकी लंबी जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी रवाना हो रही थी, जिसकी सूचना अयोध्या थाने के ही एसआई विनोद पंथी ने गौरव को दे दी। तब से ही सारे आरोपी फरार हैं। उनके खिलाफ इनाम तो घोषित किया गया, लेकिन संपत्ति कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई है। गौरव को विदिशा पुलिस ने नामजद आरोपी होने और इनामी होने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया है। कृपया कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कराने का कष्ट करें, जिससे मेरे मृत बेटे को न्याय मिल सके।

आखिरी वीडियो में भी किया प्रताड़ना का जिक्र

सुसाइड से पहले मनोज ने एक 6 मिनट का वीडियो मोबाइल फोन में शूट किया था। जिसमें उसने पत्नी ज्योति और उसके 6 रिश्तेदारों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही है। पुलिस ने इस वीडियो को भी जब्त किया था। इसी के साथ हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी पुलिस को मनोज के पास से मिला था। जिसमें उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी लिख रखा था।

घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी घटना

मृतक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में सुसाइड की घटना कैद हुई थी। इस वीडियो में मनोज घर के बाहर निकलता दिखता है, पीछे से पत्नी ज्योति और बेटा भी आते हैं। अचानक मनोज दहलीज पर अचेत हो जाता है। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।

थाना प्रभारी बोले सरेंडर से पहले पकड़ा

टीआई महेश लिल्हारे ने बताया कि आरोपियों की तलाश में थाने की दो टीमें जुटी थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को कोर्ट से गिरफ्तार किया है। गौरव सहित तीनों को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है।

पड़ोसी निर्वस्त्र हुआ, महिला ने की खुदकुशी

विश्वास का तीर। इंदौर के एरोड्रम इलाके में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि गुरुवार रात को गाड़ी हटाने को लेकर विवाद में पड़ोसी ने पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट की थी। इसके बाद वह महिला के सामने निर्वस्त्र हो गया था। इससे परेशान होकर महिला ने शुक्रवार सुबह फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में उसने पड़ोसी और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को जिम्मेदार बताया है। महिला के बेटे ने बताया, %पड़ोसी जय प्रकाश शर्मा रोजाना हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। कल रात भी ऐसा ही किया। मां जब गाड़ी हटाने लगी तो वह उनके पैर पर गिर गई। मां को चोट आ गई। उन्होंने उलाहना दिया तो जय प्रकाश की पत्नी बाहर आकर विवाद करने लगीं। उन्होंने मां को गालियां दीं। जय प्रकाश शर्मा पेशे से इलेक्ट्रिशियन है जबकि महिला का पति ऑटो चलाता है। वह पत्नी-बच्चों से अलग रहता है। महिला ने सुसाइड नोट में अपने पड़ोसी जयप्रकाश, उसकी पत्नी पूजा और एक अन्य महिला कृष्णा का नाम लिखा है। उसने लिखा- मैं अपने पड़ोसी जयप्रकाश और उसकी पत्नी पूजा से तंग आकर आत्महत्या कर रही हूं। दोनों ने मिलकर मुझे बीच रोड पर मारा है। मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। महिला के भांजे ने बताया, रात को हमें सूचना मिली थी कि मौसी का पड़ोसी से विवाद हो गया है। इस पर मामा भी वहां पहुंचे थे। मौसी ने बताया था कि जय प्रकाश ने अपने कपड़े उतार दिए थे। यह घटना वहां मौजूद सभी लोगों ने देखी है। सुबह करीब साढ़े 6 बजे बेटा सोकर उठा तो उसे मां नहीं दिखी। वह ढूंढ़ते हुए किचन में पहुंचा।

आलेख

राहुल गांधी का कद भी बढ़ा एवं राजनीतिक कौशल भी

राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गये हैं, यह उनका पहला संवैधानिक पद है, इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस बड़े पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। दस वर्षों बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। वैसे इस बार के चुनाव एवं चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकायेंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिये अभी लम्बा संघर्ष करना होगा, परिपक्व राजनीति एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को साबित करना होगा। निश्चित ही राहुल गांधी का कद बढ़ा है और अब वे स्वल्प समय में ही कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे हैं। राहुल को देशभर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' के अलावा मणिपुर से मुंबई तक की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रतिनेता के रूप में उनकी एक नई यात्रा शुरु हो रही है जो उन्हें नई राजनीतिक ऊंचाई दे सकती है। देश को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिला है, जो संसदीय राजनीति के लिए एक अच्छी खबर है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी एवं जनता की आवाज को

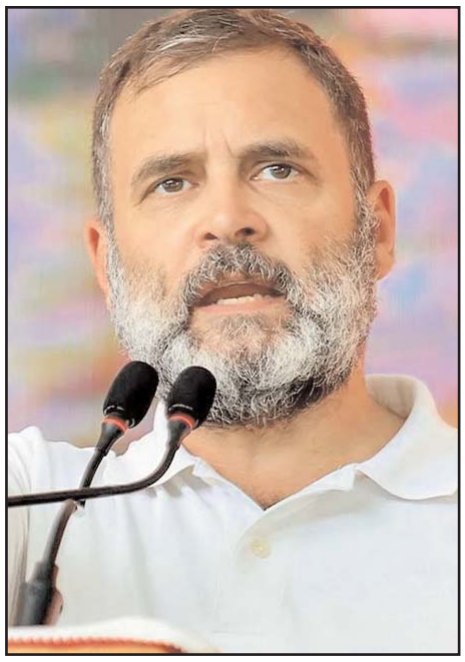

जोरदार तरीके से उठाने एवं सरकार की नीतियों-योजनाओं पर तीखी नजर रखने एवं प्रभावी सवाल उठाने की स्थितियों को बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष की नुमाइंदगी का मतलब यह नहीं कि वह हर मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, बल्कि यह है कि वह हमेशा जनता के साथ हो और उसकी ओर से मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष पद से सरकार के साथ ही विपक्ष पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता है। राहुल की सुविधाएं बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गयी है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर इस पद को हासिल किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। यह सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय तथा अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। एक केन्द्रीय मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेगी। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पांचवीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाया है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी है। इससे कांग्रेस ने अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया है, जो कोई छोटी बात नहीं। और यह राहुल और प्रियंका गांधी की गतिविधियों में साफ झलकता है। साथ ही, अब इस बात को लेकर भी कांग्रेस में कोई दुविधा नहीं रह गई है कि गांधी परिवार ही सर्वोच्च है और पार्टी पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। इसका यह भी मतलब है कि टीम-राहुल का सभी मामलों में फैसला अंतिम होगा। पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से राहुल के पास कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सदन के भीतर पहली बार वह कोई पद संभालने जा रहे हैं। ऐसे में राहुल के सामने चुनौती होगी कि वह किस तरह पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए रचनात्मक विरोध की भूमिका को आकार देते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम दलित और पिछड़े मतदाताओं ने यूपी में जो उनकी मदद की है, उनका विश्वास बनाए रखने का है। यह बड़ी सचाई है कि आज भी देश के महत्त्व के राज्यों में भाजपा को क्षेत्रीय दल शिकस्त दे रहे हैं। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ बना रहे, तो ही भाजपा पर दबाव आएगा। बड़ा सच यह भी है कि न भाजपा बदली है ना उसकी विचारधारा। भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को भले ही चुनावों में पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन वह ही आज ताकतवर है। यह भी समझना होगा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से नहीं, बल्कि सरकार की बड़ी गलतियों एवं पार्टी के अति उत्साह से नुकसान में पहुंची है। यह भी एक तथ्य है कि मुस्लिमों के सक्रिय-समर्थन के बिना कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकती थी। निश्चित ही मुसलमानों के वोट की अहमियत कुछ-कुछ सीटों पर हार-जीत का फैसला कर गई है। भाजपा अपनी आगे की रणनीति इसी आधार पर बनाएगी और वो पिछले चुनावों के जैसी ही होगी। मतलब कि भाजपा कोई नई भाषा नहीं बोलने वाली है। वह आरोप लगाती रहेगी कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो इस आरोप को अपने पर आने न दे, ताकि भाजपा हिंदुओं के हितों की एकमात्र रक्षक है, ऐसा दावा ना कर सके।

संपादकीय

अब भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही गर्मी का प्रभाव चुनावों पर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दल को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परंतु देश में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यत: शांति के साथ सम्पन्न हो गए। साथ ही, विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है।

मायके से पति के साथ लौट रही थी ससुराल, रास्ते में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर

सड़क हादसे में भोपाल की महिला की मौत

विश्वास का तीर

भोपाल की रहने वाली महिला की पिछोर में सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला पति के साथ बाइक से गुरुवार की शाम को घर से निकली थी। पिछोर स्थित बांसखेड़ी में बाइक को डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। दोनों को वहीं के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। घायल पति और पत्नी को इलाज के लिए परिजन शुक्रवार सुबह हमीदिया अस्पताल ले आए। यहां पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया।लक्ष्मी प्रजापति (19) शंकर नगर छोला की रहने वाली थी। तीन महीने पहले उसकी शादी शुभम राठौर निवासी पिछोर से हुई थी। शादी के बाद बीते एक महीने से वह मायके में मेहमानी में रह रही थी। उसकी बहन राखी ने बताया कि एक महीने बाद जीजा जी दो दिन पहले भोपाल आए थे। यहां दो दिन तक घूमने फिरने के बाद गुरुवार की शाम को बहन और जीजा बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। पिछोर स्थित बहन के ससुराल के करीब बांसखेड़ी में डंपर ने बाइक को

पीछे से टक्कर मार दी। इससे लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे की सूचना के बाद रिश्तेदार इलाज के लिए उसे भोपाल लाने के लिए रवाना हुए। शुक्रवार तड़के सुबह बहन और जीजा को भोपाल ले आए। यहां डॉक्टरों ने चेक कर लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी।

पहली बार ससुराल आया था युवक

मृतका का पति शुभम अपने गांव में खेती किसानी का काम करता है। पहली बार ससुराल में आने के बाद दो दिन तक भोपाल के टूरिस्ट प्वाइंट्स को घूमा। पत्नी को जमकर शॉपिंग कराई। लक्ष्मी को परिजनों ने नम आंखों के साथ गुरुवार को उसे विदाई थी। ससुराल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पिछोर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

पिता बोले- नाश्ते करते हुए कॉल पर बात की थी

मृतका के पिता बने सिंह प्रजापति ने बताया कि बेटी-दामाद ने घर से निकलने के बाद तूमड़ा गांव में चाय नाश्ता किया था। तब बेटी ने कॉल कर जानकारी दी कि हल्की बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है। आसानी से सफर पूरा हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होना, इसके बाद सीधे उसकी मौत की खबर आई। ऐसा लग रहा है कि हमारा तो सभी कुछ मिट चुका है। डंपर वाले ने ओवरटेक करने के प्रयास किया था, इससे दामाद की बाइक में टक्कर लग गई।

कांग्रेस से भाजपा में आईं पार्षद प्रियंका की सीट बदलेगी

भोपाल निगम की मीटिंग में बीजेपी पार्षदों के साथ बैठेंगी; पद से नहीं हटेगी

विश्वास का तीर

कांग्रेस से बीजेपी में आई भोपाल के वार्ड-7 से पार्षद प्रियंका मिश्रा की सीट बदलेगी। अब वह बीजेपी पार्षदों के साथ उस लाइन में बैठेंगी, जहां महापौर और एमआईसी सदस्य बैठते हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा- सांसद-विधायकों की तरह निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए प्रियंका को पार्षद पद से नहीं हटाया जाएगा। प्रियंका मिश्रा भाजपा के पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुट्टू भैया की बेटी और पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा की बहू हैं। दो साल पहले हुए नगर निगम चुनाव से प्रियंका कांग्रेस के टिकट पर वार्ड-7 की पार्षद चुनी गई थीं। दो महीने पहले मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गई थीं।

अध्यक्ष बोले- निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं

इस बारे में निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्षद प्रियंका मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसलिए अब वे बीजेपी पार्षद के रूप में मीटिंग में शामिल होंगी। नगर निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं है। यह सांसद, विधायकों पर लागू रहता है। इसलिए प्रियंका बीजेपी पार्षदों के साथ बैठ सकती हैं। इससे पहले उन्हें लिखित में आवेदन देना होगा कि उन्हें बीजेपी पार्षदों के साथ बैठने की अनुमति दी जाए। अभी उनका आवेदन नहीं मिला है।

निगम में कांग्रेस के अब 20 पार्षद

दो साल पहले हुए नगर निगम के चुनाव में 85 में से 22 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। सबसे ज्यादा बीजेपी के 58 और निर्दलीय 5 पार्षद थे। कांग्रेस पार्षद मो. सगीर का पिछले साल जुलाई में निधन हो गया था। 6 महीने में हुए उप चुनाव में बीजेपी ने वार्ड से जीत हासिल कर ली थी। इससे कांग्रेस के 21 पार्षद बचे थे। इनमें से एक पार्षद प्रियंका भी बीजेपी में शामिल हो गई। ऐसे में अब निगम में बीजेपी के 20 पार्षद ही बचे हैं।

परिषद की बैठक से पहले सर्वदलीय मीटिंग

इधर, परिषद की बैठक से पहले अध्यक्ष सूर्यवंशी सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाएंगे। जिसमें बजट के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एक-दो दिन में यह मीटिंग हो सकती है।

यह है दल-बदल कानून

1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक दिन में तीन बार पार्टी बदली। उसके बाद से राजनीति में आया राम गया राम की कहावत मशहूर हो गई। पद और पैसे के लालच में होने वाले दल-बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार 1985 में दल-बदल कानून लेकर आई। इसमें कहा है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी जॉइन कर लेता है तो वो दल-बदल कानून के तहत सदन से उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई सदस्य सदन में किसी मुद्दे पर मतदान के समय अपनी पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करता है, तब भी उसकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि, यह नियम सिर्फ सांसद और विधायकों के लिए है। निगम के महापौर या पार्षद को भी दल-बदल के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा पर लागू होता है, नगरीय निकायों पर नहीं।

आज निज निवास पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने मंत्रिपरिषद के कर्मठ साथी श्री गौतम टेटवाल एवं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा से विधायक श्री अर्जुन सिंह जीनगर जी से सौजन्य भेंट की।

भोपाल में महिलाओं से कहा- घर में उन्हें बेलन दिखाएं, खाना न दें

मंत्री बोले-पत्नियां पति से कहें कि शराब घर लाकर पिएं

विश्वास का तीर

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बाहर शराब पीने वाले अपने पतियों से कहें कि वे शराब घर लाकर पिएं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं से कहा- %माताएं-बहनें चाहें कि मेरा पति दारू न पिएं, पहले तो उसे बताएं कि आप बाजार में मत पिओ, आप तो ले आओ, मेरे सामने पिओ। सामने पिएंगे तो उनकी लिमिट कम होती जाएगी। धीरे-धीरे वो बंद की कगार पर आ जाएगी। उसे शर्म आएगी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शराब पी रहा हूं। उसे वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे। शराब उसकी बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल प्रेक्टिकल है। वो शराब छोड़ेगा।

शराब पीने वालों को बेलन दिखाएं, उन्हें खाना न दें

मंत्री ने कहा- शराब पीने वालों को महिलाएं बेलन भी दिखाएं। उन्हें खाना बनाकर मत दो। सामाजिक संस्कारों के कारण कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन गलत काम रोकने के लिए संस्कार आड़े नहीं आना चाहिए। महिलाएं कम्युनिटी बनाएं। बेलन गैंग बनाएं।

विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति जरूरी

मंत्री कुशवाह शुक्रवार को भोपाल में आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही शपथ भी दिलाई।उन्होंने

कहा - मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उसमें नशे से मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ्य भारत तभी होगा, जब यहां रहने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ्य होगा। सरकारें अपने कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं। लेकिन इसमें जब तक जन भागीदारी न हो, तब तक वो कार्यक्रम सफलता हासिल नहीं कर पाता। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं।

रथ यात्रा निकाली, नशा मुक्ति की शपथ ली

नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों ने रथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर कुशवाह ने कहा कि नशे की बुराई को खत्म करने के लिए सभी धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाओं से सहयोग लें। इसके लिए समाज में जनजागरण करें। कार्यक्रम में गायत्री परिवार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

नारायण निर्यात इंडिया कंपनी पर लिया एक्शन, बैंक से लिया लोन डायवर्ट कर करते रहे खरीदारी

भोपाल ईडी ने 26.53 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क

विश्वास का तीर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया कंपनी और उससे जुड़े दूसरे संस्थानों की 26.53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। इससे पहले सीबीआई भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनएनआईपीएल) के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। ईडी अफसरों ने बताया- हृहृद्धक्क ने डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं अन्य ने यूको बैंक से ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन अमाउंट का उपयोग एनएनआईपीएल के डायरेक्टर एवं उनके सहयोगियों ने दूसरे प्रोजेक्ट्स में किया। साथ ही लोन में मिली राशि को खुद की सुविधाओं पर खर्च किया। इसके अलावा लोन मंजूर कराने के लिए कंपनी ने फर्जी दस्तावेज बैंक को दिए। यह खुलासा सीबीआई भोपाल की जांच में हुआ था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने एनएनआईपीएल के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। केस की जांच में खुलासा हुआ कि बैंक से कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई लोन राशि का उपयोग संचालकों ने दूसरे प्रोजेक्ट में किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसके चलते कंपनी के संचालक गर्ग व अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

मप्र और महाराष्ट्र में कंपनी की 34 प्रॉपर्टी ज सभी कुर्क

ईडी अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएल की मप्र के इंदौर, जौरा, नीमच और महाराष्ट्र के अकोला में कंपनी की अलग-अलग नाम से कंपनी और प्रॉपर्टी है। यह कंपनी और प्रॉपर्टी एनएनआईपीएल के संचालक कैलाश चंद्र गर्ग और उनके सहयोगियों ने यूको बैंक से मिले लोन से बनाई हैं। इसके चलते ग्रुप की मप्र और महाराष्ट्र स्थित 34 प्रॉपर्टी को कुर्क किया है।

10 दिन पहले ईडी ने दर्ज किया था एनएनआईपीएल के खिलाफ केस

ईडी भोपाल के अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएल के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके साथियों के खिलाफ 10 दिन पहले 18 जून को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार देर शाम ईडी ने एनएनआईपीएल की प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई की है।

नारायण निर्यात इंडिया कंपनी पर लिया एक्शन, बैंक से लिया लोन डायवर्ट कर करते रहे खरीदारी

NNIPL ग्रुप की कंपनियां

- मेडरिया मेडिकल टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
- मेपल ओवरसीज ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- वर्धमान साल्वेंट एक्सटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- मंदसौर सेल्स कार्पोरेशन, मंदसौर
- पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी
- रामकृष्ण साल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- धुलतावाला एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
- अंबिका साल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- एमएसडी डेवलपर्स
- नैमीनाथ डेवलपर्स
- नारायण अंबिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

भोपाल में अब तक 9.5 इंच बारिश, जून के कोटे से 4.3 इंच ज्यादा

विश्वास का तीर

भोपाल में 21 जून के बाद से ही लगातार सात दिन से बारिश हो रही है। अब तक 9.5 इंच पानी गिर चुका है, जो जून के कोटे से 4.3 इंच ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भी तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इससे बारिश का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा। भोपाल में जून महीने की औसत बारिश 132.8 मिमी यानी, 5.2 इंच है। आमतौर पर 20 जून तक मानसून की दस्तक के बाद ही तेज बारिश होती है, लेकिन इस बार मानसून के आने से पहले ही तेज बारिश होने लगी थी। इससे बारिश का आंकड़ा बढ़ गया। 23 जून को मानसून के एंटर होने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ गया। गुरुवार को 24 घंटे के अंदर सवा 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। इससे आंकड़ा साढ़े 9 इंच तक पहुंच गया है।

अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

29-30 जून और 1 जुलाई को भी तेज बारिश का अनुमान है।

बारिश की वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में पारा 29 डिग्री और रात में 21 डिग्री तक पहुंच सकता है।

इस बार 106प्रतिशत बारिश का अनुमान

भोपाल में इस बार सामान्य से 106प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। पिछली बार 18प्रतिशत कम यानी, 82प्रतिशत (30.9 इंच) बारिश हुई थी, जबकि भोपाल की सामान्य बारिश 37.6 इंच है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अबकी बार भले ही मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा, लेकिन अच्छा बरसेगा।

प्री-मानसून में भी रिकॉर्ड बारिश

अबकी बार शहर में प्री-मानसून जमकर बरसा है। 21-22 जून की रात में 4.8 इंच पानी बरस गया। यह 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का दूसरा रिकॉर्ड है। 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 22 जून 1986 के नाम है। इस दिन 5 इंच से अधिक बारिश हुई थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं

हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए

विश्वास का तीर

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थीं। शुक्रवार सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सोरेन एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।

आईपीसी एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें हैं

1. यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है।

2. दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गईं। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात श्वष्ठ ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले तीन दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी भी शक्ति है, बंदूक, गोले बारूद हों – अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल भेजा गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत से यह अहसास और मजबूत हो गया है कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते रहेंगे कि वह बदले की भावना से कोई कार्रवाई न करे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले-फूले। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हेमंत, हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है।

ईडी ने जमानत का किया था विरोध

13 जून को श्वष्ठ की ओर से वकील एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए-2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लान्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है, वह महज उसका अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। वहीं 12 जून को हुई सुनवाई में ईडी की ओर से एडवोकेट एसवी राजू? ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर जानकारी नहीं होने की बात बता रहे हैं, दरअसल वह जमीन उनके नाम से ही है।

महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रूपयें कैश मिलेगें

विश्वास का तीर

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने गुरुवार को राज्य का बजट पेश किया। इसमें महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसानों के बिजली बिल बकाया माफ करने से लेकर उन्हें खेती के लिए 5000 रुपए बोनस देने और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए ट्रांसफर करने की योजना शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में पेट्रोल की कीमतों में 65 पैसे की कमी की जाएगी। मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर कर 24त्न से घटाकर 21त्न किया जा रहा है, जिससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की कमी आएगी। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल राज्य में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। उससे तीन महीने पहले राज्य सरकार इन योजनाओं को लेकर आई है। साल 2024-25 के अंतरिम बजट की घोषणा से पहले अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाई।

किसानों के लिए योजनाएं...

राज्य के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। दुग्ध किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी पांच रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के परिजन को 20 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। राज्य के 44 लाख किसानों को बिजली का बिजली का बकाया बिल माफ किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए जुलाई, 2022 से 15 हजार 245 करोड़ 76 लाख रुपए की मदद। नवंबर-दिसंबर, 2023 में बेमौसम बारिश से प्रभावित 24 लाख 47 हजार किसानों को 2 हजार 253 करोड़ रुपए की मदद। महिलाओं-परिवारों के लिए योजनाएं... छत्र योजना के तहत सभी परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 52 लाख 16 हजार 412 परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का ऐलान। इसके तहत 21 से 60 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह स्कीम जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए हर साल लगभग 46 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। 17 शहरों में 10 हजार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फार्मेसी, चिकित्सा और कृषि सहित सभी व्यावसायिक डिग्री-डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क में 100त्न सब्सिडी मिलेगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सपांदक आपयुष राजपूत द्वारा कविता आर्पफसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- आपयुष राजपूत, मो.7247257823, 7999252366 (प्रति शुक्रवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2022/83636